

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर में पीठ के लिए

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 12288/2022

अनिल कुमार पुरोहित पुत्र स्वर्गीय श्री राधा किशन पुरोहित, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी 3/102, जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2

बनाम

1. अशोक कुमार पुरोहित पुत्र स्व. राधा किशन पुरोहित, आयु लगभग 66 वर्ष, निवासी 3/102, जवाहर नगर, जयपुर, वर्तमान में बी-36, अनीता कॉलोनी, बजाज नगर जयपुर (राजस्थान) में निवासरत हैं। (वाद के शीर्षक के अनुसार)
2. राधा किशन (राधा कृष्ण) पुरोहित पुत्र स्व. भूरा माज जी पुरोहित, उम्र लगभग 84 वर्ष, निवासी 3/102, जवाहर नगर, जयपुर, वर्तमान में निवास बी-36, अनिता कॉलोनी, बजाज नगर जयपुर (राजस्थान) (मृतक) - प्रतिनिधित्वकर्ता
- 2/1 श्रीमती. शांति देवी पुरोहित पत्नी स्वर्गीय श्री. राधा किशन पुरोहित, निवासी 3/102, जवाहर नगर, जयपुर, वर्तमान में बी-36, अनिता कॉलोनी, बजाज नगर जयपुर (राजस्थान) में रहते हैं।
3. श्रीमती आशा पुरोहित पत्नी श्री सत्य नारायण पुरोहित पुत्री स्वर्गीय श्री राधा किशन पुरोहित, निवासी 10/897, मालवीय नगर, जयपुर।
4. अरुणा पारीक पत्नी श्री. अशोक पारीक पुत्र स्व. राधा किशन पुरोहित, निवासी एफ-12, विनय पथ, टोडरमल मार्ग, बनीपार्क, जयपुर (राज.)

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री एलएल गुप्ता, श्री लक्ष्य कुमार शर्मा
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री आर.के. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता,
श्री आयुष द्वारा गोयल, श्री कपिल गुप्ता और श्री मोहम्मद आदिल

माननीय श्रीमान. जस्टिस सुदेश बंसल

आदेश**19/09/2024**प्रकाशनीय

1. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से रिट याचिका पर गुण-दोष के आधार पर अंतिम सुनवाई की गई।
2. याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत तत्काल रिट याचिका दायर की गई है, जो सिविल सूट संख्या 69/2018 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 4, जयपुर जिले द्वारा पारित दिनांक 09.05.2022 के आदेश से व्यथित महसूस कर रही है, जिसमें आदेश VIII नियम 1(3) सीपीसी के तहत उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया और प्रतिवादी संख्या 1- राधा की मूल बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट लेने से इनकार कर दिया गया। किशन पुरोहित (अब दिवंगत) और प्रतिवादी संख्या 2- अनिल कुमार पुरोहित।
3. अभिलेख से उजागर मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी संख्या 1-वादी ने वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित तीन अचल संपत्तियों के संबंध में विभाजन और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक सिविल वाद दायर किया है। याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वाद का विरोध किया गया है और लिखित बयानों में, यह दलील दी गई है कि एक अन्य अचल संपत्ति प्लॉट संख्या बी-36, अनीता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर भी परिवार की संयुक्त संपत्ति है, जिसे वादी ने विभाजन के वाद में शामिल नहीं किया है और लिखित बयान में प्रतिवाद किया है। इस संपत्ति के संबंध में, प्रतिवादी संख्या 2 ने दलील दी है कि संपत्ति वादी के नाम पर खरीदी गई थी और उसे पिता-प्रतिवादी संख्या 1-राधा किशन द्वारा वित्तपोषित किया गया था। पुरोहित (अब दिवंगत) और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भी। पक्षों की अपनी-अपनी दलीलों के अनुसार, मुद्दे तय हो चुके हैं और वाद वादी के साक्ष्य दर्ज करने के चरण में है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान सिविल वाद दायर करने के बाद प्रतिवादी संख्या 1-राधा किशन पर पुरोहित, जो वादी प्रतिवादी संख्या 2 के पिता हैं, का 15.02.2019 को निधन हो गया है और उनके स्थान पर उनकी पत्नी अर्थात् पक्षकारों की माता को प्रतिवादी संख्या 1/1 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मृतक प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य विधिक प्रतिनिधि, जो दो पुत्र और दो पुत्रियाँ हैं, वर्तमान दीवानी वाद में पहले से ही पक्षकार हैं।

4. वादी के साक्ष्य के चरण में, प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 30.11.2021 को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें पिता प्रतिवादी संख्या 1-राधा किशन पुरोहित से संबंधित पंजाब नेशनल

बैंक, जयपुर के खाता संख्या 7812 की मूल पासबुक और बैंक स्टेटमेंट और प्रतिवादी संख्या 2- अनिल कुमार पुरोहित से संबंधित स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एंड जयपुर और बैंक ऑफ राजस्थान की पासबुक पेश करने की अनुमति मांगी गई। आवेदन में, प्रतिवादी संख्या 2 ने दलील दी कि ये पासबुक वर्तमान सिविल मुकदमे में शामिल मुद्दे के लिए प्रासंगिक हैं, साथ ही यह दिखाने के लिए प्रति दावा किया गया है कि वादी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति को वादी के पिता और भाई ने बैंक लेनदेन के माध्यम से वित्त पोषित किया था। इसलिए, ऐसे बैंक लेनदेन दिखाने के लिए, इन पासबुक को पेश करने की मांग की गई थी।

5. वादी द्वारा आवेदन का विरोध किया गया और अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए उत्तर प्रस्तुत किया गया कि चूंकि पिता की पासबुक में कई स्थानों पर कटिंग और ओवरराइटिंग है, जो उनकी मृत्यु के बाद प्रस्तुत की गई है, अतः ऐसी पासबुक और बैंक स्टेटमेंट प्रामाणिक और वास्तविक दस्तावेज नहीं हैं, अतः इन्हें अभिलेख में नहीं लिया जा सकता। इसके अतिरिक्त, यह भी आपत्ति की गई कि लिखित विवरण के साथ पासबुक प्रस्तुत न करने का कोई कारण नहीं है। अतः, प्रार्थना की गई कि आवेदन को खारिज किया जाए।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेजों की प्रकृति पर विचार करने के बाद, अपने आदेश में पाया कि पासबुक में कई जगहों पर कटिंग, ओवरराइटिंग और इंटरपोलेशन की गई है, क्योंकि हस्तलिखित पासबुक और प्रतिवादी संख्या 1 के बैंक स्टेटमेंट की प्रविष्टियों में अंतर है, इसलिए पासबुक एक प्रामाणिक और असली दस्तावेज नहीं लगती। इसके अलावा, विचारण न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी ने लिखित बयान के साथ ये पासबुक प्रस्तुत न करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया है। तदनुसार, इन टिप्पणियों के साथ, विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 के आवेदन को दिनांक 09.05.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया, जिस पर तत्काल रिट याचिका दायर करके आपत्ति जताई गई है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि आदेश VIII नियम 1(3) सीपीसी के तहत प्रतिवादियों द्वारा दस्तावेज पेश करने की अनुमति मांगने के चरण में, न्यायालय पेश किए जाने वाले दस्तावेज की वास्तविकता, साक्ष्य मूल्य और प्रामाणिकता की जांच करने के लिए अधिकार

क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि लिखित बयान दाखिल करने के समय दस्तावेज पेश न किए जाने के बारे में संतुष्टि और देरी के कारणों की पर्याप्तता पर विचार करने के अधीन, न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है। लेकिन वर्तमान मामले में, ट्रायल कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है और बैंक पासबुक और प्रतिवादियों के बयानों के दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया है, यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए कि प्रतिवादी नंबर 1 की पासबुक उतनी ही असत्य है जितनी कि इसकी प्रामाणिकता भी संदिग्ध लगती है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जहां तक देरी का सवाल है, मुकदमा वादी के साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के प्रारंभिक चरण में है

ललित स्वामी बनाम भारत संघ [2017 (1) डब्ल्यूएलसी (राजस्थान) यूसी 783] के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के मुख्य पीठ के फैसले और सुगंधी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। **सुगंधी बनाम पी. राजकुमार [एआईआर (2020) एससी 5486]**।

8. इसके विपरीत, प्रतिवादी-वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने रिट याचिका का पुरजोर विरोध किया और आरोपित आदेश का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अपने विवेक का प्रयोग किया है और आदेश VIII नियम 1(3) सीपीसी के तहत आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि संपत्ति- प्लॉट संख्या बी-36, अनीता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर, वादी की स्वयं खरीदी गई संपत्ति है और पासबुक और बैंक स्टेटमेंट के दस्तावेज, जिन पर प्रतिवादी संख्या 2 भरोसा करना चाहता है, प्रथम दृष्टया अवलोकन से पता चलता है कि कई स्थानों पर प्रविष्टियों में कटिंग, ओवरराइटिंग और इंटरपोलेशन है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 की पासबुक, उनकी मृत्यु के बाद, प्रस्तुत की है, वह भी लिखित बयान के साथ इसे प्रस्तुत न करने का कोई पर्याप्त कारण बताए बिना, इसलिए आरोपित आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप का वारंट नहीं करता है। ट्रायल कोर्ट ने अपने विवेकानुसार दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का औचित्य नहीं रखता है, इसलिए रिट याचिका खारिज की जाती है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कल्याण सहाय बनाम मांगी लाल सेलिबेट शिष्य (ब्रह्मचारी चेला) [2018 (1) डब्ल्यूएलसी (राज.) यूसी 122] के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख किया है।

"4. और वास्तव में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय को मुकदमे के दौरान निचली अदालतों द्वारा प्रयोग किए गए विवेकपूर्ण विवेक में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इस मामले के तथ्यों के आधार पर ऐसा ही किया गया है। इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल निचली अदालतों द्वारा पारित उन आदेशों के संबंध में किया जा सकता है जो अत्यंत विकृत हों, या कानून में गलत दिशा-निर्देशों से दूषित हों। वर्तमान मामले में दोनों में से कोई भी स्थिति लागू नहीं होती है।"

श्रीमती कुसुम बब्बर बनाम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) संख्या 1, जयपुर [2013 डब्ल्यूएलसी (राजस्थान) यूसी 258] के मामले में पारित निर्णय पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें पैरा संख्या 7 में, यह निम्नानुसार माना गया था:

7. मेरी सुविचारित राय में, सीपीसी के आदेश 8 नियम 1-ए (3) के तहत अदालत की अनुमति विवेकाधीन है और मामले में प्राप्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए। सीपीसी के आदेश 8 नियम 1-ए (3) के तहत अनुमति का नियमित अनुदान कानून में समर्थित नहीं है। मेरी सुविचारित राय में, मामले के तथ्यों में प्रतिवादी द्वारा विवादित संपत्ति के संबंध में वर्ष 2012 में तस्वीरें देरी से दाखिल करने का कोई कारण स्थापित नहीं किया गया था/है, जिसके लिए वर्ष 2005 में मुकदमा दायर किया गया था। पूर्वोक्त के अलावा, जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने पाया और वादी के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया, ट्रायल कोर्ट के समक्ष यह मानने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि विवादित संपत्ति से संबंधित मुद्दे में तस्वीरें। उस मामले के लिए न तो उक्त तस्वीरें लेने की तारीख और न ही समय और न ही फोटोग्राफर का नाम और हस्ताक्षर तस्वीरों पर जोड़े गए थे। प्रतिवादी। आदेश 8 नियम 1-ए सीपीसी का प्रमुख उद्देश्य और पक्षों की दलीलों के साथ दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता विवाद के न्यायनिर्णयन में तेजी

लाना और जल्द से जल्द ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक स्पष्ट विवाद प्रस्तुत करना है और आदेश 8 नियम 1-ए (3) सीपीसी के प्रावधान के अत्यधिक उदार दृष्टिकोण को अपनाकर इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट के विवेकाधिकार, जैसा कि आरोपित आदेश में स्पष्ट है, को इस न्यायालय द्वारा केवल उच्च न्यायालय होने के नाते पलटा नहीं जा सकता है। सुबोध कुमार गुप्ता बनाम अल्पना गुप्ता [(2005) 11 एससीसी 578] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि किसी मामले की कार्यवाही के दौरान ट्रायल कोर्ट के विवेकाधीन आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जहां ऐसे आदेश अच्छे आधारों और कारणों से समर्थित हों। वर्तमान मामले में यही स्थिति है।”

9. सुना गया। विचार किया गया।

10. निर्णायक और संक्षिप्त मुद्दा जो सामने आया है, वह यह है कि क्या विवादित आदेश, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को विभाजन और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वर्तमान सिविल मुकदमे में वादी के साक्ष्य के स्तर पर रिकॉर्ड पर प्रश्रुत दस्तावेज (प्रतिवादियों की बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट) पेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है?

11. इस संबंध में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वर्तमान विभाजन संबंधी दीवानी वाद वादी के साक्ष्य दर्ज करने के प्रारंभिक चरण में है और इस चरण में, प्रतिवादी ने आदेश VIII नियम 1ए(3) सीपीसी के अंतर्गत आवेदन दायर कर प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट साक्ष्य के रूप में प्राप्त करने की अनुमति मांगी है। निचली अदालत ने यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए आवेदन खारिज कर दिया है कि प्रतिवादी संख्या 1 (अब दिवंगत) से संबंधित बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट की प्रामाणिकता और वास्तविकता संदिग्ध प्रतीत होती है और इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान के साथ इन दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है।

12. इस कानूनी प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि आदेश VIII नियम 1ए(3) सीपीसी का वैधानिक प्रावधान प्रतिवादी को उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का दूसरा अवसर प्रदान करता है,

जिन्हें लिखित बयान के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, बशर्ते कि न्यायालय की अनुमति ली जाए। कानून के ऐसे प्रावधान के आधार पर, न्यायालय के पास ऐसी अनुमति देने या अस्वीकार करने की विवेकाधीन शक्ति और अधिकार क्षेत्र निहित है, हालाँकि न्यायालय द्वारा ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग करने का कोई सीधा सूत्र नहीं है। फिर भी, कई निर्णयों के माध्यम से, न्यायिक मिसाल सामने आई है कि न्यायालय को विवेकाधिकार का प्रयोग विवेकपूर्ण और कानून के दायरे में ही करना चाहिए, न कि मनमाने और मनमानी तरीके से। यह भी स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि कानून की ऐसी प्रक्रिया को इस तरह लागू किया जाना चाहिए जिससे पर्याप्त न्याय प्राप्त हो, क्योंकि सभी नियम और प्रक्रियाएँ न्याय प्रशासन के लिए बनाई जा रही हैं। न्यायालय को न्याय प्रदान करने के लिए अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग इस बात को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि सिविल मुकदमे की सुनवाई का उद्देश्य पक्षकारों को बिना किसी देरी के प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देना है ताकि न्यायालय सत्य तक पहुँच सके। एक पांडित्यपूर्ण और अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण, जो किसी भी पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करने के मूल्यवान अधिकार को नष्ट कर सकता है, से बचा जाना चाहिए।

13. आदेश VIII नियम 1A(3) के प्रावधानों को आदेश XIII नियम 1 CPC के साथ पढ़ने पर, यह माना जा सकता है कि ऐसे प्रावधानों का उद्देश्य दस्तावेज़(दस्तावेजों) को देरी से पेश किए जाने से रोकना है, ताकि मुकदमे में देरी न हो और दूसरे पक्ष के साथ अन्याय न हो। जिन दस्तावेज़ों पर संबंधित पक्ष भरोसा करना चाहते हैं, उन्हें मुद्दों के निपटारे से पहले मूल दलीलों के साथ पेश किया जाना चाहिए। फिर भी, विधायिका ने विलंबित चरण में दस्तावेज़(दस्तावेजों) पर सवाल उठाने से संबंधित मामले को न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया है और न्यायालय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए विवेकाधीन शक्तियों के भीतर अपना निर्णय ले सकता है। न्यायालय से अपेक्षा है कि विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, बिना तकनीकी या प्रक्रियात्मक दोष के बाहरी तरीके को बढ़ाए।

14. सुगंधी (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का लाभकारी संदर्भ पर्याप्त होगा, जहाँ आदेश VIII नियम 1 ए (3) सीपीसी के प्रावधान से निपटने के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ/राय दी गई थीं:

8. उपनियम (3), जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, प्रतिवादी को उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का दूसरा अवसर प्रदान करता है जिन्हें अदालत की अनुमति से लिखित बयान के साथ अदालत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। ऐसी अनुमति प्रदान करने के लिए अदालत को प्रदत्त विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हालांकि कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन प्रतिवादी द्वारा उचित कारण दिखाए जाने पर अदालत द्वारा यह अनुमति प्रदान की जा सकती है।

9. अक्सर कहा जाता है कि प्रक्रिया न्याय की दासी होती है। ठोस न्याय करते समय न्यायालय को प्रक्रियात्मक और तकनीकी बाधाओं को आड़े नहीं आने देना चाहिए। यदि प्रक्रियात्मक उल्लंघन प्रतिपक्षी पक्ष के लिए गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है, तो न्यायालयों को प्रक्रियात्मक और तकनीकी उल्लंघन पर निर्भर रहने के बजाय ठोस न्याय करने की ओर झुकना चाहिए। हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि मुकदमा सत्य की ओर एक यात्रा मात्र है, जो न्याय का आधार है और न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक विवाद में अंतर्निहित सत्य को उजागर करने के लिए उचित कदम उठाए। इसलिए, उपनियम (3) के अंतर्गत दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आवेदन किए जाने पर न्यायालय को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

15. इस न्यायालय का मानना है कि ऐसे कई कारक हैं जिन पर न्यायालय को अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय विचार करना आवश्यक है, ताकि सिविल कार्यवाही के बाद के चरण में, यदि दस्तावेज प्रस्तुत करने का चरण बीत चुका है, तो किसी भी पक्ष को दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सके या नहीं। कुछ कारकों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

- (i) कार्यवाही का चरण ;
- (ii) पहले चरण में दस्तावेज प्रस्तुत न करने का कारण ;
- (iii) दस्तावेजों की प्रकृति और प्रासंगिकता;
- (iv) पक्ष का आचरण और विलंब;

विरोधी पक्षों को होने वाला संभावित पूर्वाग्रह ;

(vi) प्रथम दृष्टया दस्तावेजों की वास्तविकता।

इन कारकों का उल्लेख केवल उदाहरण के लिए किया गया है, न कि संपूर्ण सूची के रूप में, क्योंकि किसी विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर अन्य कारक भी हो सकते हैं। यह सच है कि कोई सीधा-सादा सूत्र नहीं है, लेकिन न्यायालय की संतुष्टि आवश्यक है।

जहां तक दस्तावेज की स्वीकार्यता, विश्वसनीयता और साक्ष्य मूल्य जैसे कारकों या दस्तावेज के जाली, मनगढ़ंत या अप्रमाणित होने की आपत्ति का संबंध है, उन्हें सामान्यतः सिविल कार्यवाही के उपयुक्त चरण में विचार किया जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है, न कि न्यायालय द्वारा अनुमति देने या अस्वीकार करने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के चरण में। इस स्तर पर, न्यायालय द्वारा सामान्यतः कोई अंतिम निष्कर्ष पारित नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि, यह भी उतना ही सच है कि यदि पहली बार में दस्तावेज नकली दस्तावेज प्रतीत होता है या न्यायालय का विश्वास नहीं जगाता है, तो न्यायालय द्वारा ऐसे दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति न देते हुए अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के विवेक का प्रयोग पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए, बिना उन मुद्दों में प्रवेश किए, जिन पर परीक्षण के दौरान विचार किया जाना आवश्यक है, जिसमें दस्तावेज का सत्यापन योग्य और साक्ष्य मूल्य या साक्ष्य में दस्तावेज की स्वीकार्यता/विश्वसनीयता आदि तय करना शामिल है। इस संबंध में, **ललित स्वामी** (सुप्रा) के मामले में समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें पैरा संख्या 10 में यह देखा गया था कि "सीपीसी के आदेश VII नियम 14(3) के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में, न्यायालय को यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि दस्तावेज जाली, मनगढ़ंत या अनधिकृत है या नहीं। दस्तावेज के साक्ष्य मूल्य या विश्वसनीयता को प्रदर्श को चिह्नित करते समय और/या साक्ष्य प्रस्तुत करते समय देखा जाना आवश्यक है। विवादित आदेश के माध्यम से, निचली अदालत ने वादी द्वारा दायर आवेदन को उन कारणों से खारिज कर दिया, जो न तो प्रासंगिक हैं और न ही निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं।"

16. मामले के तथ्यों की बात करें तो, ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 1 की बैंक पासबुक की हस्तलिखित प्रविष्टियों में कटिंग और ओवरराइटिंग से अपना ध्यान भटकाया। इस संबंध में,

प्रतिवादी के विद्वान वकील का तर्क है कि प्रतिवादी नंबर 1 की पासबुक मूल है और प्रासंगिक प्रविष्टियां, जिन पर प्रतिवादी भरोसा करना चाहता है, उनमें कोई कटिंग, ओवरराइटिंग या इंटरपोलेशन नहीं है और यदि कोई है, तो संबंधित बैंक अधिकारी द्वारा उन पर आद्याक्षर किए गए हैं। इस न्यायालय की राय में, यह साक्ष्य का मामला है, जिसकी बेहतर जांच और निर्णय ट्रायल कोर्ट द्वारा बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट के दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने और पक्षों को उनके साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने के बाद किया जा सकता है। जाहिर है, वादी को प्रतिवादी नंबर 1 की बैंक पासबुक की प्रविष्टियों सहित दस्तावेजों पर प्रतिवादियों से जिरह करने का अवसर मिलेगा, जिस पर प्रतिवादी नंबर 2 भरोसा करता है। सीपीसी के आदेश VIII नियम 1ए(3) के तहत आवेदन पर विचार करने के चरण में, ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी द्वारा इन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर पेश करने की अनुमति देने से इनकार करने के अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए कि दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वास्तविकता संदिग्ध प्रतीत होती है। ट्रायल कोर्ट यह समझने में विफल रहा कि हालांकि वादी का मामला यह है कि प्लॉट संख्या बी-36, अनीता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर स्थित संपत्ति उसने अपने स्वयं के धन से और विभाग से ऋण लेकर खरीदी थी, फिर भी प्रतिवादियों के लिखित बयान में यह दलील दी गई है कि प्लॉट संख्या बी-36, अनीता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर स्थित संपत्ति खरीदने के लिए धनराशि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा बैंक लेनदेन के माध्यम से वादी के बैंक खाते में स्थानांतरित की गई थी और ऐसी दलीलों के समर्थन में प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की बैंक पासबुक और बैंक विवरण प्रस्तुत करना चाहता है। ऐसी दृष्टि में, दस्तावेजों को अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है और उनकी प्रामाणिकता/वास्तविकता और साक्ष्य मूल्य, उन पर प्रस्तुत पक्षों के साक्ष्य के विश्लेषण के बाद ट्रायल कोर्ट के निर्णय के अधीन हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिवादी संख्या 2 की बैंक पासबुक के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने अन्य प्रासंगिक कारकों को न समझकर क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की है, जो प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है, ताकि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट के दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जा सके, अंतिम निर्णय के समय उनकी वास्तविकता / साक्ष्य संबंधी मूल्य तय करने के अधीन, दोनों पक्षों को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने और सभी साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद, रिकॉर्ड पर लाया जाए।

17. जहाँ तक लिखित बयान के साथ दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने का कोई ठोस कारण न बताने का प्रश्न है, दस्तावेज़ वादी के साक्ष्य के चरण में प्रस्तुत किए गए थे और विभाजन के वर्तमान वाद की प्रकृति तथा प्रतिवादियों के लिखित बयान की दलीलों के संदर्भ में ऐसे दस्तावेज़ों की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी द्वारा दस्तावेज़ दाखिल करने में हुई देरी के लिए, वादी को क्षतिपूर्ति देने हेतु प्रतिवादियों पर लागत लगाकर न्याय हित में कार्य किया जाएगा। यह न्यायालय पाता है कि अन्य कारकों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय को न्याय प्रदान करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करते हुए व्यावहारिक और उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और देरी के लिए, वादी को लागत देकर क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सकती थी।

18. इस प्रकार, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि विचारण न्यायालय ने अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का सही परिप्रेक्ष्य और विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करने में विफलता दिखाई है। प्रतिवादी को प्रश्नगत दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की अनुमति देने से इनकार करने से प्रतिवादी को और अधिक कठिनाई होगी और अन्याय हो सकता है। जबकि वादी को विलंब के लिए लागत प्रदान करके क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सकती है और उसे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे इन दस्तावेज़ों के आधार पर प्रतिवादियों से जिरह करने का पूरा अवसर मिलेगा। यह वाद निस्संदेह वादी के साक्ष्य दर्ज करने के चरण में है। इन कारणों से, यह विवादित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का पात्र है।

19. जहाँ तक कल्याण सहाय (सुप्रा) के मामले में प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा संदर्भित निर्णय का संबंध है। इस न्यायालय ने माना कि जब तक आक्षेपित आदेश कानून में गलत दिशा-निर्देशों द्वारा दूषित न हो, तब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इस न्यायालय का मानना है कि यहाँ आक्षेपित आदेश कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। श्रीमती कुसुम बब्बर (सुप्रा) के मामले में, विवादित संपत्ति के संबंध में विचाराधीन तस्वीरें नहीं मिलीं, इसलिए उन्हें रिकॉर्ड में लेने से इनकार कर दिया गया, लेकिन वर्तमान मामले में, दस्तावेज़ पक्षों के बीच

विवाद से संबंधित हैं। इस प्रकार, दोनों निर्णय वादी को कानून में आक्षेपित आदेश को कायम रखने के लिए कोई समर्थन नहीं देते हैं।

20. अंतिम परिणाम के रूप में, वर्तमान रिट याचिका सफल होती है और एतद्वारा स्वीकार की जाती है। दिनांक 09.05.2022 का विवादित आदेश अपास्त किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर दिनांक 30.11.2021 का आवेदन स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 से संबंधित बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट के दस्तावेजों को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर लेने की अनुमति दी जाती है।

तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वादी को सुनवाई के दौरान दस्तावेजों की वास्तविकता, साक्ष्य मूल्य और प्रामाणिकता को चुनौती देने की स्वतंत्रता होगी, जिस पर सुनवाई न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के ऊपर दर्ज किसी भी निष्कर्ष/टिप्पणी से पूर्वाग्रहित हुए बिना, विचार किया जाएगा और उसके अनुसार निर्णय दिया जाएगा।

21. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निपटा दिए गए हैं।

(सुदेश बंसल), जे

सचिन /39

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी